प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 106/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Jayesh Ameta Add. Titardi, Girwa, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 18-9-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329959892347370 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7032536083 दिनांक 22.08.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/106/24/981-82 दिनांक 22.08.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./सूअअ/2005/2024/2063 दिनांक 18.09.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना/दस्तावेज इस कार्यालय के पत्रांक 2062 दिनांक 12.09.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अब इस कार्यालय से वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना शेष नहीं है। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार किया जाकर प्रकरण को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 18.09.2024 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 12.09.2024 से सूचना उपलब्ध करवा **दी गई है। ऐसी स्थिति** में अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील **अपीलार्थी खारिज की जाती है।**

चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को आवेदन दिनांक 31.05.2024 से एक माह के अवधि के **बाद प्रथम अपील** प्रस्तुत करने के उपरान्त सूचना उपलब्ध करवाई गई है ऐसी स्थिति में **सहायक लोक सूचना** अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार **अधिनियम 2005** के तहत प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निस्तारण **करना सुनिश्चित** करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर